नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

…यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

…म : बनाम : मु.नं. दिनांक :

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गजेन्द्र / रेखादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/6/24	वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्षकार ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुये अपील को इसी स्तर पर स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान के आदेशों की अनुपालना में राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय से इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुयी है। P.O. महो० के चुनाव मतगणना में व्यस्त होने के कारण पत्रा० आज पेशी पर ली गयी। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। तत्पश्चात उभयपक्ष को राजीनामा पर सुना गया। वकील अपीलांट ने कथन किया कि विवादित आराजी उभयपक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है। जिसे उभयपक्षकारान के पूर्व पुरुष ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया था। परन्तु तत्समय विवादित आराजी पर विक्रेता राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज थे। इसलिए बयनामा का अमल जमाबंदी में नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त रेस्पो० सं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार होने का दावा प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर दिया। प्रथम तो एक गैर खातेदार को ना तो विवादित आराजी को विक्रय करने का अधिकार हासिल था एवं द्वितीय ना ही उन्हें वसीयत करने का अधिकार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन --- लगातार	

बनाम : मु.नं. दिनांक :

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गजेन्द्र / रेखादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वर्तमान में डिक्रीदार रेस्पो० नं० 1 एवं अपीलांट के मध्य राजीनामा हो गया है, एवं उभयपक्षकारान दोनों, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराना चाहते हैं अतः अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा उसी स्टेज पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक आनल रेस्पो० ने मुताबिक राजीनामा अधीनस्थ न्याया० के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने में सहमति जाहिर की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उक्त उभयपक्ष पर मनन किया। चूंकि अधीनस्थ न्याया० का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण प्रकरण के पूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। अपीलांट विवादित आराजी को पैतृक होना कथन करते हैं परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परन्तु हम अभिभाषक अपीलांट के इस तथ्य पर बल पाते हैं कि एक गैर खातेदार को विवादित आराजी की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था एवं अधीनस्थ न्याया० द्वारा वसीयत के आधार पर ही दावा वादी रेस्पो० डिक्री किया है। वर्तमान अपील में स्वयं आनल रेस्पो० (डिक्रीदार) प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा होना कथन करते हैं एवं अधीनस्थ न्याया० की डिक्री को निरस्त कराने का निवेदन करते हैं। अतः हम अधीनस्थ न्याया० की पत्रावली तलब किये बिना ही अपील अपीलांट ---(लगातार)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गजेन्द्र / रेखादेवी	
	इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्याया० को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि उत्तरपक्षगण अपील में प्रस्तुत किये जा रहे कथित राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत करें एवं अधी० न्याया० प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधी० न्याया० में दिनांक 28/6/2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। अधी० न्याया० के अपीलाधीन आदेश दि० 02/11/2023 निरस्त किये जाकर, प्रकरण तथ्यों की पृष्ठभूमि में उत्तरपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें; बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (मुनिदेव यादव) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	